(a) the State-wise/District-wise target fixed for the installation of STD/PCO in the country during the next three years; and

(b) the State-wise/District-wise target fixed for the installation of STD/PCO in the country during the next three years; and

(c) the steps being taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VARMA): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

STD/ISD/PCO Booths

11. SHRI MOHINDAR SINGH KAIYAN; Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number of STD/ISD/Public Telephone booth* functioning in Punjab, Orissa, Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, Madhya Pradesh, Assam etc.;

(b) the number of applications which are still pending for allotment of such new booths in those States; and

(c) what is the State of consideration of these applications stating details district-wise?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VARMA): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as scion as possible.

साकेत, नई दिल्ली में डाकघर खोला जाना

12. **श्री गोविन्दराम मिरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगरीय क्षेत्रों में डाकघर/उप डाकघर खोले जाने हेतु कितनी जनसंख्या की जरूरत होती हैं

(ख) क्या साकेत (नई दिल्ली) की जनसंख्या उपरोक्त (क) में अपेक्षित जनसंख्या की तुलना मे कम हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो वहां कोई डाकघर / उप डाकघर न खोले जाने के क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) महानगरीय क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए अलग से कोई मानदंड नहीं हैं। शहरी क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए निर्धारित किए गए मानदंड महानगरीय क्षेत्रों पर भी लागू होते हैं (मानदंडो की प्रति विवरण में दी गई हैं) (नीचे देखिए)

(ख) जी नहीं।

(ग) साकेत में 15.7.1997 को एक विभागीय उप डाकघर खोला गया है।

विवरण

डाकघर खोलने के लिए मानदंड

1.**नए शाखा डाकघर खोलने के लिए मानदंड**

1.1 **जनसंख्या**

(क) सामान्य क्षेत्रों में एक ग्राम समूह आबादी 3000 (इसमें ठन गांवो की आबादी भी शामिल हैं जहां डाकघर खोला जाना हैं) ।

(ख) पहाड़ी, जनजातिय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में: किसी एक गांव की आबादी 500 गांवो के एक समूह की आबादी 1000।

1.2 दूरी:

(क)सामान्य क्षेत्रों में:

नजदीक डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 कि.मी. होगी।

(ख) पहाड़ी, जनजातिय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में: दूरी की सीमा वही होगी सिवाय पहाड़ी क्षेत्रों को छोडकर। निदेशालय द्वारा ऐसो मामलो में न्यूनतम दूरी की सीमा में छूट दी जा सकती हैं जहां विशेष परिस्थितियों में ऐसी छूट अपेक्षित हैं जिसका प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

1.3 प्रत्याशित आय:

(क) सामान्य क्षेत्रो में : न्युनतम प्रस्याशित राजस्व लागत का 33-1/3 प्रतिशत होना चाहिए।